भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2757 का उत्तर

पत्रकारों आदि के लिए रियायती टिकट की पुनः शुरुआत करना

2757. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:
श्री जगदीश शट्टर:
श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड-पूर्व समय में वरिष्ठ नागरिकों, प्रत्यायित पत्रकारों आदि को रेल किराए में कोई रियायत दी जाती थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-काल के दौरान उपर्युक्त रियायत बंद कर दी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पत्रकारों और अन्य श्रेणियों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दी जाने वाली रियायतें फिर से शुरू कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोविड-काल के दौरान इसी तरह की अन्य रियायतें रद्द कर दी गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या निर्धन कुशल व्यक्तियों को 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करने के लिए पहले की तरह 'इज्जत' पास को फिर से शुरू करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ सुलभ कराने का प्रयास करती है और 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में आसानी से समझने के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत मात्र 54 रुपये होगी। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि के अतिरिक्त कई कोटियों जैसे दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों के लिए रियायतें दी जा रही हैं।

****